प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 691/2002

अपीलार्थी - रामलाल कंवर पिता धोबीराम कंवर, आयु 21 वर्ष, निवासी पुसाल्दा, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

....

उपस्थित:

श्री अभय तिवारी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।

श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

....

युगलपीठ : माननीय श्री एल.सी. भादू एवं माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीशगण।

मौखिक निर्णय

(दिनांक 26-03-2007 को प्रदत्त)

श्री एल.सी. भादू, न्यायाधीश,

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त मई, 2001 से जेल में निरुद्ध है, इस प्रकार वह लगभग 5 वर्ष 10 माह से निरुद्ध है, अतः अपील का अंतिम रूप से ही निराकरण किया जाए।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने भी तर्क प्रस्तुत किया कि अपील का अंतिम रूप से ही निराकरण किया जाए।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से अपील का अंतिम रूप से विचारण किया गया।

यह अपील सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 130/2001 में दिनांक 5 जून 2002 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को सालिकराम की हत्या कारित करने के अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास तथा 2,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया, तथा अर्थदंड का भुगतान न करने की दशा में अतिरिक्त 6 माह का सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त प्रकरण यह है कि दिनांक 4-5-2001 से 2-3 दिन पूर्व सालिकराम (मृतक) ने धोबीराम के साथ मारपीट की थी। इस संबंध में एक पंचायत की बैठक बुलाई गई, जिसमें गांव के सरपंच, पंच, सालिकराम, धोबीराम तथा धोबीराम का पुत्र रामलाल उपस्थित थे। पंचायत में धोबीराम ने बताया कि सालिकराम ने उसके साथ मारपीट की है, जिस पर सालिकराम ने उत्तर दिया कि उसने कोई मारपीट नहीं की है। इसी दौरान धोबीराम के पुत्र रामलाल ने सालिकराम पर डंडे से उसके सिर एवं पैर पर प्रहार किया। इस घटना की सूचना अगले दिन थाना में दी गई। सालिकराम को उपचार हेतु शासकीय चिकित्सालय, रायगढ़ ले जाया गया। उचित उपचार न मिलने के कारण उसके परिजन उसे घर ले आए। अंततः दिनांक 23-5-2001 को उसने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। इस शिकायत पर थाना प्रभारी, थाना घरघोड़ा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करते हुए प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी./1) दर्ज की। बाद में सालिकराम की मृत्यु हो जाने पर अपराध को भा.दं.सं. की धारा 302 में परिवर्तित किया गया। दिनांक 23 मई 2001 को लगिन सिंह द्वारा मर्ग सूचना (प्र.पी./21) दी गई। विवेचना अधिकारी मृतक के घर पहुंचे तथा पंचों को सूचना (प्र.पी./4) देकर सालिकराम के शव का मृत्युसमीक्षा (प्र.पी./3) तैयार किया। सालिकराम का डिस्चार्ज टिकट (प्र.पी./5) जप्त किया गया। मौका नक्शा (प्र.पी./7)

तैयार की गई। घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा (प्र.पी./9) जप्त किया गया। रक्तरंजित मिट्टी तथा साधारण मिट्टी (प्र.पी./10) भी जप्त की गई। सालिकराम की चोटों का परीक्षण अ.सा.-8 डॉ. एम. एम. वासे द्वारा किया गया, जिन्होंने चोट प्रतिवेदन (प्र.पी./12) तैयार किया। शव परीक्षण अ.सा.-10 डॉ. एम. एल. थवैट द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, घरघोड़ा में किया गया। उन्होंने अभिमत दिया कि मृत्यु का कारण खोपड़ी की हड्डी में चोट के कारण उत्पन्न आघात एवं सदमा था। उनका प्रतिवेदन (प्र.पी./16) है।

विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् अभियोग-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, घरघोड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ के न्यायालय में विचारण हेतु सुपुर्द किया, जहाँ अभियोजन पक्ष ने 14 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्त का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य में उसके विरुद्ध आए महत्वपूर्ण तथ्यों का खंडन किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए यह कहा कि उसे झूठा फँसाया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात् अभियुक्त को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया।

हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने सालिकराम की मृत्यु के मानव वध की प्रकृति के होने के तथ्य का विवाद नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, अ.सा.-7 सुखमत बाई, जो बैठक में उपस्थित थी, ने कहा है कि अभियुक्त रामलाल ने सालिकराम पर डंडे से प्रहार किया।

अ.सा.-7 के उक्त साक्ष्य की पुष्टि अ.सा.-10 डॉ. एम. एल. थवैट के चिकित्सीय साक्ष्य से होती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने मृतक के शव का परीक्षण किया। मृतक के टेम्पोरल एवं पैराइटल हड्डियों में अस्थि भंग पाया गया तथा मस्तिष्क और हड्डी के बीच रक्त का थक्का पाया गया। मृत्यु का कारण सदमा बताया गया तथा मृत्यु मानव वध प्रकृति की पाई गई।

अतः यह सिद्ध होता है कि मृतक की मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी।

जहाँ तक उक्त अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता का प्रश्न है, इस संबंध में भी अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विवाद नहीं किया है। अ.सा.-7 सुखमत बाई, जो सालिकराम की पत्नी है, ने कथन किया है कि घटना के दिन पंचायत की बैठक हुई थी, जिसमें रामलाल तथा उसके पति उपस्थित थे। रामलाल ने उसके पति पर डंडे से उसके टेम्पोरल भाग, छाती एवं पैर पर प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप नाक और कान से रक्त बहने लगा तथा उसका पति बेहोश हो गया।

अ.सा.-4 संतोष ने भी इस साक्ष्य की पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त, यह चक्षुदर्शी साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से भी पुष्ट होता है। अ.सा.-8 डॉ. एम. एम. वासे ने बताया कि दिनांक 5-5-2001 को वे रायगढ़ चिकित्सालय में चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे, जहाँ उन्होंने सालिकराम की चोटों का परीक्षण किया। मृतक के शरीर पर विभिन्न चोटें पाई गईं। दाहिने कान से रक्त बह रहा था। टेम्पोरल क्षेत्र में चोट थी। 4" x 3½" आकार का हेमेटोमा पाया गया। दाहिने कंधे पर सूजन थी तथा बाएँ पिंडली क्षेत्र में 2" x 4" आकार का नीलांगू पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अ.सा.-10 डॉ. एम. एल. थवैट ने बताया कि दिनांक 24-5-2001 को उन्होंने मृतक के शव का परीक्षण किया। टेम्पोरल एवं पैराइटल हड्डियों में अस्थि भंग पाया गया तथा मस्तिष्क और हड्डी के बीच जमे हुए रक्त की उपस्थिति थी। चोटें मृत्युपूर्व की थीं तथा मृत्यु का कारण सदमा बताया गया।

अतः उपर्युक्त चक्षुदर्शी एवं चिकित्सीय साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त की संलिप्तता सिद्ध होती है।

अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वस्तुतः घटना से 2 दिन पूर्व मृतक ने अभियुक्त के पिता धोबीराम पर आक्रमण किया था, जिसके संबंध में पंचायत बुलाई गई थी। उक्त पंचायत में धोबीराम ने बताया कि सालिकराम ने उस पर हमला किया था, जिसका सालिकराम ने खंडन किया। इसी उत्तर को सुनकर अचानक रामलाल

को क्रोध आ गया और उसने अपने पास रखे डंडे से सालिकराम पर प्रहार कर दिया, जिससे उसे चोटें आईं। उसे चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और 15 मई 2001 को छुट्टी दे दी गई, किन्तु 23 मई 2001 को उसकी मृत्यु हो गई। अतः यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त ने बिना पूर्व-योजना के, अचानक उत्तेजना में आकर, सालिकराम द्वारा धोबीराम पर हमला न करने की बात कहने पर प्रहार किया। इसलिए अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध सिद्ध नहीं होता तथा यह प्रकरण धारा 304 भाग-II से अधिक नहीं है।

दूसरी ओर, राज्य/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क का तथ्यात्मक पक्ष लगभग सही है कि धोबीराम को सालिकराम द्वारा मारपीट किए जाने के संबंध में पंचायत बुलाई गई थी। जब धोबीराम ने पंचायत में बताया कि सालिकराम ने उस पर हमला किया है, तो सालिकराम ने इसका खंडन किया। इस बात से रामलाल आक्रोशित हो गया और उसने मृतक पर डंडे से प्रहार किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इस संदर्भ में अ.सा.-14 डॉ. एस. एन. केशरी का साक्ष्य महत्वपूर्ण है, जिन्होंने दिनांक 5-5-2001 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, घरघोड़ा में धोबीराम की चोटों का परीक्षण किया था। उन्होंने धोबीराम के शरीर पर 5 खरोंच तथा 1 नीलांगू पाया। इससे स्पष्ट है कि वास्तव में सालिकराम ने धोबीराम पर हमला किया था और उसी संबंध में पंचायत बुलाई गई थी। जब सालिकराम ने आरोप से इंकार किया, तो रामलाल क्रोधित हो गया और अपने पास रखे डंडे से उसके सिर पर प्रहार कर दिया। अ.सा.-10 डॉ. एम. एल. थवैट ने अपने साक्ष्य में यह नहीं कहा कि सिर पर लगी चोट सामान्यतः मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। यह भी तथ्य है कि सालिकराम को 15-5-2001 को चिकित्सालय से छुट्टी दे दी गई थी और वह घटना के लगभग 19 दिन बाद, अर्थात् उचित उपचार न मिलने के कारण दिनांक 23-5-2001 को मृत्यु को प्राप्त हुआ।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियाँ इस तथ्य की ओर संकेत करती हैं कि यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त का मृतक की मृत्यु कारित करने का आशय था, किन्तु जिस प्रकार से, जिस बल से तथा जिस अंग पर प्रहार किया गया, उससे यह निष्कर्ष सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है कि अभियुक्त को यह ज्ञान था कि सिर पर डंडे से प्रहार करने से मृत्यु हो सकती है। इसलिए अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के अंतर्गत अपराध सिद्ध होता है।

उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दंडादेश को बनाए नहीं रखा जा सकता।

फलस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अभियुक्त के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। इसके स्थान पर उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया जाता है। अभिलेख के अनुसार अभियुक्त दिनांक 6-5-2001 से अब तक जेल में निरुद्ध है, अतः उक्त अवधि का समायोजन उसे अधिरोपित दंड के विरुद्ध प्रदान किया जाएगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपर्युक्त के दृष्टिगत, एम. (क्रि.) पी. क्रमांक 2238/2003 तथा आई.ए. क्रमांक 3572/2002 का भी निराकरण किया जाता है।

सही/-	सही/-
(एल.सी. भादू)	(धीरेंद्र मिश्रा)
न्यायाधीश	न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही**

अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur